न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : अंशदीप, आई0ए0एस0

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 20/2014

प्रार्थी–

इसाक खां पुत्र आलम खां जाति मुसलमान निवासी कुम्हारों का टीबा (रमजान की गफन) बीजराड़, तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. राज्य जरिये तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर
2. मगन खां पुत्र नूरा खां
3. सिंहली पत्नी मगन खां जाति मुसलमान निवासी आलमसर तहसील चौहटन
4. मानु पत्नी सोबदार जाति मुसलमान निवासी भभूते की ढाणी तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध भूमि आवंटन आदेश दिनांक 31.12.2004 जिसके द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में मौजा रमजान की गफन के खसरा नम्बर 263/1 में 21–00 बीघा भूमि आवंटन की गई।

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री महेन्द्र रामावात, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 4 की ओर से उपस्थित।
3. राजकीय पैरोकार, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।
4. अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 11.03.2020

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रशासन आपके द्वार राजस्व अभियान के दौरान भूमि आवंटन सलाहाकार समिति की बैठक दिनांक 06.12.2004 में अतिक्रमियों द्वारा राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण के मामलों को नियमन हेतु भूमि आवंटन सलाहकार

जिला कलक्टर
बाड़मेर

समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम रमजान की गफन के खसरा नम्बर 263/1 की रकबा 21–00 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि नियमन किये जाने की अनुशंषा एवं आवंटन आदेश के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत दिनांक 23.07.2014 को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया हैं।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 4 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता की बहस सुनी एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को सुना एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 263/1 वर्तमान खसरा नम्बर 721/263 रकबा 21–00 बीघा भूमि पर प्रार्थी का कब्जा–काश्त व रहवासीय ढाणी बनी हुई हैं तथा बन्दोबस्त भूलवश राज्य सरकार के खाते में दर्ज हो गई हैं। प्रार्थी के कब्जे–काश्त के फलस्वरूप संवत् 2057 से 2068 तक गिरदावरी में प्रार्थी का नाम दर्ज हैं तथा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर प्रार्थी से जुर्माना भी वसूल किया गया हैं। इस आधार पर एडवर्स पजेशन प्रार्थी को होने से अप्रार्थी सं. 2 को आवंटन नहीं किया जा सकता हैं। अप्रार्थी सं. 4 के पति सोबदार को विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी होने पर अप्रार्थी सं. 2 को भूमिहीन बताकर, गलत व मिथ्या सूचनाऐं देकर आवंटन प्रार्थना पत्र पर फर्जी अंगूठा लगाकर आलौच्य आदेश के द्वारा आवंटन करवा लिया। अप्रार्थी सं. 2 का विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा–काश्त नहीं रहा हैं और अप्रार्थी सं. 4 के पति ने उक्त गलत आवंटन करवाने के बाद राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर अप्रार्थी सं. 3 का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करा दिया जबकि वक्त आवंटन अप्रार्थी सं. 3 का नाम नही था। उक्त राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने के पश्चात भूमि का बेचान अपनी पत्नी अप्रार्थी सं. 4 के

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

पक्ष में करवा लिया। इस प्रकार समस्त कार्यवाही फर्जी एवं कूटरचित तरीके से निष्पादित की गई हैं।

4. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी सं. 2 के पिता नूरा व उसके भाईयों हाला, महेन्द्रा पिसरान बुरान के नाम से मौजा आलमसर में खेत खसरा नम्बर 279, 285, 303 कुल रकबा 141–15 बीघा स्थित भी जिसमें अप्रार्थी सं. 2 के पिता का 1/3 हिस्सा से 47–05 बीघा भूमि हिस्से की थी तथा नूरा फोत होने पर अप्रार्थी सं. 2 व उसके भाई हुसैन के हिस्से में 47–05 बीघा बंट में आई, जिसके अनुसार अप्रार्थी सं. 2 का 23–13 बीघा भूमि आई, किन्तु अप्रार्थी सं. 2 ने 10–10 बीघा भूमि का बेचान कर दिया, जिससे वक्त आवंटन अप्रार्थी सं. 2 के नाम से 13–04 बीघा भूमि शेष रही। उक्त तथ्य को गलत रूप से पेश करते हुए अप्रार्थी सं. 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया हैं कि "और कोई भूमि मेरे द्वारा नहीं बेची गई है"। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 ने वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए कूटरचित व मिथ्या तथ्य अंकित कर आवेदन व शपथ पत्र निष्पादित किया गया हैं जिसके कारण उक्त आवंटन आदेश खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में किया गया विवादित आवंटन आदेश दिनांक 31.12.2004 सर्वथा गलत एवं विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

5. अप्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने जवाब मे निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 2 भूमिहीन व्यक्ति था जिसके नाम से पैतृक खातेदारी में कुल 13–04 बीघा भूमि वक्त आवंटन राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। अप्रार्थी सं. 2 ने आलौच्य आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में भी उक्त भूमि का विवरण अंकित करते हुए शपथपूर्वक यह निवेदन किया कि वह सद्भावी काश्तकार हैं जिसका मुख्य धन्धा व आजीविका खेती पर निर्भर हैं। अप्रार्थी सं. 2 का मौजा रमजान की गफन के खसरा नम्बर 263/1 रकबा 40 बीघा पर संवत् 2051 से लगातार कब्जा–काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 2 के उक्त प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी रमजान की गफन द्वारा रेकर्ड एवं मौके की रिपोर्ट

जिला कलक्टर बाड़मेर

प्रस्तुत की गई, जिसमें संवत् 2051 से 2060 तक लगातार कब्जे–काश्त एवं जुर्माना अदायगी का सम्पूर्ण विवरण अंकित किया गया हैं। अप्रार्थी सं. 2 का कब्जा–काश्त रेकर्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार भली–भांति साबित हैं तथा आलौच्य आवंटन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में किसी भी तथ्य को छिपाया या मिथ्या कथन नहीं किया गया हैं। उक्त विवादित खसरा नम्बर 263 मूल का बहुत बड़ा रकबा हैं जिसमें प्रार्थी का कब्जा किस स्थान पर है तथा यह अप्रार्थी के कब्जे से किस प्रकार प्रभावित हैं यह तथ्य कहीं साबित नहीं हो रहा हैं। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा आलौच्य आवंटन/नियमन सम्पूर्ण विधिवत कार्यवाही के द्वारा किया गया हैं जिसमें किसी प्रकार मिथ्या कथन अथवा कपट का तथ्य साबित नहीं हैं और न ही आवंटन उपरांत किसी भी शर्त का भंग किया गया हैं जिसके आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सके। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं जो खारिज फरमाया जावें।

6. हमने दोनो पक्षों की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह हैं कि आवंटी मगन पुत्र नूरा द्वारा कपट या दुर्व्यपदेशन के द्वारा आवंटन कराया है, जिसके आधार पर यह प्रार्थना पत्र नियम 14(4) के तहत प्रस्तुत किया गया हैं। इस संबंध में प्रार्थी का कथन हैं कि मौके पर कब्जा प्रार्थी का होते हुए भी अप्रार्थी को भूमि का आवंटन कर दिया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 02 को बिना कब्जे के आवंटन किया हैं जो नियम विरूद्ध हैं। प्रार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ने अपनी खातेदारी की 10–10 बीघा भूमि का बेचान कर वक्त आवंटन धारित भूमि 13–04 बीघा बताया है एवं शपथ पत्र में अंकित किया हैं कि अन्य कोई भूमि बेची नहीं गई है। इस प्रकार कूटरचित एवं मिथ्या तथ्य पेश कर आवंटन कराया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में आलौच्य आवंटन हल्का पटवारी की जांच रिपोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर किया गया हैं। जहां तक अपीलांट का कथन हैं कि 10–10 बीघा भूमि

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर बाड़मेर

बेचान के बाद गलत तथ्य पेश किये गये है, प्रार्थी ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। राजस्थान भू--राजस्व (कृषि भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत मिथ्या व्यपदेशन के द्वारा अवैध आवंटन या आवंटन की शर्तों की पालना न करने पर आवंटन निरस्त करने का प्रावधान हैं। हस्तगत प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 1 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा कथित बेचान का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं ऐसे में यह नहीं माना जा सकता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 मगन पुत्र नूरा ने बेचान किया हों। इसके अलावा प्रार्थी की ओर से आवंटन शर्तों के उल्लंघन का कोई साक्ष्य अथवा तथ्य पेश नहीं किया गया हैं जिसके अभाव में आलौच्य आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। लिहाजा उभय पक्षकारान की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन उपरांत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

7. अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरांत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सरहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर